



2026:AHC:175738

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 5812 वर्ष 2026

मोन् ऊर्फ जय प्रकाश

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आलोक सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य-विपक्षी के एजीए श्री शशांक शेखर पांडे के तर्क सुने। अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखा।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 858/2025 में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 111(3) और सूचना प्रौद्यिकी (संशोधन) अधिनियम की धाराओं 66(C), 66(D) के तहत थाना- जगदीशपुरा, ज़िला- आगरा में दर्ज है और इसका विचारण अभी चल रहा है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। जिन मोबाइल संख्याओं (7078965068 और 9904772429) से काजल और महेंद्र को कॉल किए गए थे, वे आवेदक के नहीं हैं। कथित लेन-देन से जुड़ी कोई भी रकम आवेदक के बैंक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खाते में जमा नहीं की गई है। आवेदक किसी भी गैर-विधिक लेन-देन का लाभार्थी नहीं है। पुलिस हिरासत के दौरान सह-आरोपी राजेश शर्मा ने आवेदक का नाम बताया था। वह बयान, जहाँ तक वह आवेदक को फँसाता है, भरोसेमंद नहीं है। आवेदक के पास से एक रेड्मी मोबाइल फ़ोन और ₹3500 बरामद दिखाए गए हैं। वह भारतीय मुद्रा और मोबाइल फ़ोन आवेदक के ही हैं। बरामद मोबाइल फ़ोन और भारतीय मुद्रा आवेदक को किसी अपराध से नहीं जोड़ते हैं। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इसके अलावा, सह-आरोपी राजेश शर्मा को इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 3622/2026 (राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में 3.8.2026 के आदेश से ज़मानत दे दी है। आवेदक न तो किसी संगठित अपराध अभिषेद का सदस्य है और न ही उसने ऐसे किसी अभिषेद की ओर से काम किया है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। आवेदक 14.12.2025 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

4. राज्य की ओर से पेश एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन अभिलेख के आधार पर ऊपर बताई गई बातों को संतोषजनक ढंग से गलत साबित नहीं कर सके।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख देखने के बाद, यह न्यायालय शुरुआती तौर पर यह पाती है कि जिन मोबाइल संख्याओं से काजल और महेंद्र को कॉल किए गए थे, वे आवेदक के नहीं हैं। पुलिस हिरासत के दौरान सह-आरोपी राजेश शर्मा ने आवेदक का नाम बताया था। बरामद मोबाइल फ़ोन और भारतीय मुद्रा आवेदक को किसी अपराध से नहीं जोड़ते हैं। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। सह-आरोपी राजेश शर्मा को इस न्यायालय ने ज़मानत दे दी है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, आवेदक आठ महीने से ज़्यादा समय से जेल में है और विचारण के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य ने ऐसी कोई वाजिब आशंका नहीं जताई है कि ज़मानत पर रिहा होने पर आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा, विचारण में देरी करेगा या गवाहों को डराएगा-धमकाएगा। मामले की गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।



6. उक्त मामले में शामिल आवेदक मोनू उर्फ जय प्रकाश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही रकम का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा तय तारीख पर पेश हो;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे;
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव न डाले।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के सामने ज़मानत निरस्त करने की प्रार्थना-पत्र देने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अगस्त 19, 2026

एस.एस.